न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सरवाड़ जिला अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 92/2013

1. श्रीमती निधि कंवर पत्नी शक्ति सिंह जाति राजपूत, निवासी बोराड़ा तहसील सरवाड़, जिला अजमेर।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री प्रताप सिंह पुत्र रणजीत सिंह जाति राजपूत निवासी बावडी तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदा सरवाड़ जिला अजमरे।

—अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वकील 1. श्री शैलेन्द्र जैन, प्रार्थी।
2. श्री ओमप्रकाश चौधरी, अप्रार्थी सं. 1

निर्णय दिनांकः— 02.12.2019

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 का न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। वादवर्णित आराजी मौजा ग्राम बावडी तहसील सरवाड़ में स्थित है जिसक विवरण निम्न प्रकार से है।

अनूसूची 'अ'

खाता सं.	खसरा नं.	रकबा	किस्म
191—168	182	10—06—00	बीड
	182/1153	10—10—00	बीड
	826	02—05—10	ता.1
कुल किता	**3**	**23—02—00**	

अनूसूची 'ब'

129—112	649	02—11—00	बा.3
	720	00—01—00	बा.3
	721	02—11—00	बा.3/पाल
कुल किता	**3**	**05—03—00**	

अनूसूची 'स'

228—198	539	03—10—00	बीड
	712	02—06—10	चा.2
कुल किता	**2**	**05—16—10**	

यह कि वादवर्णित उक्त आराजीयात अनूसूची 'अ' में वर्णित आराजीयात में प्रार्थीयां का संपूर्ण हिस व अनूसूची 'ब' में 1/8 हिस्सा व अनूसूची 'स' में 1/2 हिस्सा निहित है तथा प्रार्थीयां का उक्त हिस्से अनुसार ही वादवर्णित उक्त आराजीयात पर कब्जा स्वामित्व चला आ रहा है। प्रार्थीयां ने उक्त आराजीयात को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से श्रीमती मंगेज कंवर पत्नी ओंकार सिंह राजपूत निवासी पिपलिया, तहसील मालपुरा, जिला टोंक से खरीदकर कब्जा प्राप्त किया तथा इमरोज क्रय से ही उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थीयां के निरन्तर उपयोग—उपभोग में चली आ रही है। यह कि वादवर्णित आराजीयात से अप्रार्थी का किसी प्रकार का कोई वास्ता सरोकार नहीं है लेकिन अप्रार्थी नाजायज एवं अनाधिकृत तरीके से

उपखण्ड अधिकारी
सरवाड़ (अजमेर)

Scanned by CamScanner

कानून व नियमों के विरूद्ध अपने मनमाने ढंग से उक्त आराजीयात से बेदखल करने पर उतारू है। दिनांक 26.08.2013 को प्रार्थीयां जब अपनी आराजी पर गयी तो अप्रार्थी ने एलानियां धमकी दी की फसल काटकर में ले जाउंगा तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो। इसलिए अप्रार्थी सं. 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाने का निवेदन किया। यह कि प्रार्थीयां की उक्त खातेदारी की भूमि में अप्रार्थी अवैध रूप से दबाव बनाकर जबरन जमीन पर कब्जा करना चाहता है। यदि अप्रार्थी अपने उक्त कृत्य में सफल हो जाते है तो वादीया को अजहद क्षति होगी एवं प्रार्थीयां अपनी खातेदारी की आराजीयात से ही महरूम हो जायेगी जिसका मुद्रा में मूल्यांकन किया जाना संभव नहीं होगा। यह कि अप्रार्थी सं. 2 राजस्व रिकॉर्ड का संधारण करते है इसलिए लेवडहोल्डर होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। यह कि प्रार्थीयां का प्रथम दृष्टया मामला है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीयां के पक्ष में है। प्रार्थी द्वारा निम्न दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गएः—

- प्रतिलिपी जमाबंदी ग्राम बावडी संवत् 2067—2070
- प्रतिलिपी जमाबंदी ग्राम बावडी संवत् 2067—2070
- प्रतिलिपी जमाबंदी ग्राम बावडी संवत् 2067—2070
- प्रतिलिपी खसरा गिरदावरी ग्राम बावडी संवत् 2068
- प्रतिलिपी खसरा गिरदावरी ग्राम बावडी संवत् 2068
- प्रतिलिपी खसरा गिरदावरी ग्राम बावडी संवत् 2068
- प्रतिलिपी आंशिक नकल नक्शा ट्रेस ग्राम बावडी

अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया। जवाब में निवेदन किया गया कि उक्त प्रार्थना पत्र मिथ्या व निराधार है एवं पूर्णतया खारिज होने योग्य है। यह कि वर्णित अनूसची 'अ' में वर्णित आराजीयात में अप्रार्थी सं. 1 एवं श्रीमती मंगेज कंवर पत्नी ओकारसिंह राजपूत निवासी बोराड़ा का 1/2—1/2 हिस्सा है, जो कि राजस्व रिकॉर्ड में श्रीमती मंगेज कंवर के नाम अंकन है। अनूसूची 'ब' में अंकित आराजी में अप्रार्थी सं. 1 व श्रीमती मंगेजकंवर का बराबर—बराबर 1/16 हिस्सा है, जो राजस्व रिकॉर्ड में श्रीमती मंगेज कंवर के नाम 1/8 हिस्सा दर्ज है एवं अनूसूची 'स' में अंकित आराजी में अप्रार्थी सं. 1 व श्रीमती मंगेज कंवर का बराबर—बराबर 1/4 हिस्सा है, जो राजस्व रिकॉर्ड में श्रीमती मंगेज कंवर के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज है। उक्त वर्णित आराजी पर प्रार्थीयां का किसी प्रकार का कब्जा व दखल नहीं है। यह कि श्रीमती मंगेज कंवर के पति ओंकारसिंह का स्वर्गवास करीबन 55—60 वर्ष पूर्व हो गया था, ओंकार सिंह के एक पुत्र श्रवणसिंह था। श्रवणसिंह का स्वर्गवास दिनांक 06.08.1970 को हो गया था। श्रीमती मंगेज कंवर ने दिनांक 19.08.1970 को अप्रार्थी सं. 1 को सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार पंचो के समक्ष गोद लिया। अप्रार्थी सं. 1 श्रीमती मंगेज कंवर का विधिवत दत्तक पुत्र है तथा जो हक व अधिकार जायन्दा पुत्र को प्राप्त होते है वह समसत हक अधिकार अप्रार्थी सं. 1 को प्राप्त है। श्रीमती मंगेजकंवर को पुश्तैनी आराजीयात को किसी प्रकार से हस्तांतरित करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा वाद प्रस्तुत करने के पश्चात प्रकरण में अंतरिम स्थगन आदेश पारित किया गया, जिसके विचाराधीन रहने के दौरान श्रीमती मंगेजकंवर ने आराजीयात को प्रार्थीयां को हस्तांतरित किया है जो आरंभ से ही शून्य, अवैध प्रभावहीन है। अप्रार्थी सं. 1 आराजीयात का वास्तविक मालिक एवं स्वामी है, जिसके विरूद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है।

प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के तथ्यों, बहस प्रार्थना पत्र व दस्तावेजों पर गहन विधिक मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी से स्पष्ट है कि प्रार्थीयां विवादित आराजी की रिकॉर्डेड खातेदार है। अतः पृथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीयां के पक्ष में सिद्ध होता है।

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

प्रार्थी अभिलिखित खातेदार है। अभिलिखित खातेदार का सेटल पेजशन माने जाने की अवधारणा है प्रस्तुत खसरा गिरदावरी से प्रार्थी का कब्जा प्रमाणित है। कब्जे के बाबत अप्रार्थीगणों द्वारा अपने पक्ष में कोई दस्तावेज साक्ष्य हेतु पेश नहीं किए है। अतः प्रार्थी का सेटल पजेशन मानते हुए सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है।

चूंकि प्रार्थी के पक्ष में पृथम दृष्टया प्रकरण सिद्ध है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। यदि प्रार्थी के कब्जे काश्त में व्यवधान किया जाता है तो अपूर्तनीय क्षति भी प्रार्थी को ही संभावित है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है एवं अप्रार्थीगणों को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि विवादित आराजी में प्रार्थी के कब्जेकाश्त में दखल ना करे तथा भूमि के मौके की यथास्थिति मूलवाद के निस्तारण तक बनाए रखें।

पत्रावली बाद तामील तकमील व तरमीम नंबर से कम की जावे तथा निर्णित में गणना की जाकर मूलवाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 02.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(तारामती वैष्णव)
उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़

Scanned by CamScanner